Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/223/2006/नागौर

1 श्रीमती लिछमा बेवा नाथूराम कौम साद
2 रामगोपाल पुत्र नाथूदास साद
3 नारायण पुत्र नाथूदास कोम सादय
4 घनश्याम पुत्र नाथूदास कौम साद
5 धापू पुत्री नाथूदास कोम साद
6 संतोष पुत्री नाथूदास कौम साद
7 चुकली पुत्री नाथूदास कौम साद
8 गुमानी पुत्री नाथूदास कौम साद सभी निवासी ग्राम डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर

अपीलार्थीगण

बनाम

1 मदनलाल पुत्र तुलसीदास
2 सोहनलाल पुत्र तुलसीदास
3 रामनिवास पुत्र तुलसीदास
4 जगदीश पुत्र तुलसीदास
5 मूली बेवा तुलसीदास सभी कौम साद निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री रवि प्रकाश शर्मा, सदस्य

उपस्थितः श्री यज्ञदत्त शर्मा वकील अपीलार्थीगण
श्री एस.पी.सिंह वकील प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3

निर्णय

दिनांकः 16.2.18

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 188/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलार्थीगण ने एक वाद स्वंय को रामावत साद समाज के प्रतिनिधि बताते हुए व बहैसियत खुद एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का सहायक कलक्टर, डीडवाना के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डीडवाना में गाढाधाममें दयाल आश्रम के दक्षिण में जमीन खसरा नम्बर 2719/3216 रकबा 8 बिसव है जिसके पुराने खसरा नम्बर 732 रकबा 15 बिस्वा है। यह जमीन सदैव से आज तक रामावत समाज के साधुओं की शमसान की भूमि रही है। इस जमीन पर दिवार बनाई है एवं थोडी दूरी पर उत्तर पूर्व कोने में दीवार नहीं बनी हुई है। प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण इस जमीन पर जबरन अतिक्रमण करना चाहते हैं। इस जमीन के बाबत कई विवाद चले हैं। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर 6 तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 23.10.2002 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इसके विरूद्व प्रतिवादीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने निण।य दिनांक 26.12.2005 से अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया। इससे व्यथित होकर वादीगण अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादी अपीलार्थीगण ने अपने वाद को साबित करने हेतु खसरा गिरदावरी, जमाबन्दी, जिला कलक्टर का निर्णय, उच्च न्यायालय का निर्ण्य आदि दस्तावेज पेश किये एवं मौखिक साक्ष्य से वाद को साबित कराया है। प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि शमसान दर्ज है जिसके संबंध में वाद सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का ही है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने सभी तथ्यों को समझे बिना ही निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि आबादी भूमि नहीं है। अतः यह अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि गैर मु0 शमसान की भूमि है तथा वादीगण अपीलार्थीगण इसके खातेदार होकर काबिज होना साबित नहीं कराया गया है। शमसान की भूमि पर किसी प्रकार के अधिकारों की घोषणा राजस्व न्यायालय नहीं कर सकता है। प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण ने इस बाबत एतराज विचारण न्यायालय में भी उठाया था परन्तु विचारण न्यायालय ने सरसरी तौर पर ही निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व है। शमसान भूमि पर अधिकारों की घोषणा करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। स्थाई

निषेधाज्ञा का वाद केवल खातेदार ही ला सकता है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने सभी तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं पर पूर्ण विचार कर निर्णय दिया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है अतः यह अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए कि प्रतिवादीगण के पक्ष में जारी पटटे को जिला कलक्टर के द्वारा निरस्त कर दिया गया था विवादित भूमि शमसान भूमि है जिस पर दीवार बनी हुई है। प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है, वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया है। इसके विपरीत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने अपने निर्णय में यह माना है कि विवादित भूमि शमसान की भूमि है जिससे अधिनियम की धारा 207 एवं तृतीय सूची के अनुसार शमसान भूमि के बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद सिविल न्यायालय ही सुन सकती है, राजस्व न्यायालय नहीं। वादीगण विवादित भूमि के खातेदार नहीं है एवं कब्जा साबित नहीं है जिससे स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकते, अपील स्वीकार की है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी सम्वत 2010 से 2012 प्रदर्श 2 में विवादित आराजी खालसा होकर मसाण दर्ज है। वादीगण ने भी अपने वाद में विवादित भूमि को शमसान की भूमि होना कहा है। इससे यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि वादीगण के खातेदारी की नहीं है। वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे विवादित भूमि उनके स्वामीत्व की होना साबित होता हो। वादीगण ने कब्जे के समर्थन में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा का वाद केवल खातेदार ही जा सकता है। ऐसी स्थिति में वादीगण विवादित भूमि के काबिज खातेदार होना साबित नहीं होने से वे स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते।

8. राजस्व अभिलेख के अनुसार यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि शमसान की भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूचित एवं धारा 207 के अनुसार शमसान की भूमि पर घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद सुनने का क्षेत्राधिकार दिवानी न्यायालय को ही है। ऐसी स्थिति में हम राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित आलौच्य निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं जिससे उसकी पुष्टि करना न्यायोचित समझते हैं।

9. वादी अपीलार्थी का यदि श्मशान का कोई सुखाधिकार आदि बनता है एवं वह इस आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त करना चाहता है तो वह सक्षम सिविल न्यायालय से अथवा सुखाधिकार के संबंध में बने प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर सकता है। वर्तमान अपील में वह कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2005 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि प्रकाश शर्मा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य